न्यायालय अतिरिक्त सांभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 410/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. देवाराम पुत्र धोकलराम 2. बगडूराम पुत्र धोकलराम (जाति विश्नोई, निवासी सुरपुरा, तहसील बाप, जिला फलौदी)		1. जीवणराम पुत्र दलुराम फौत के का0मु0 1/1 गणपतराम पुत्र स्व0 जीवणराम 1/2 भीखाराम पुत्र स्व0 जीवणराम (जाति विश्नोई, निवासी सुरपुरा, तहसील बाप, जिला फलौदी) 2. विनोद कुमार पुत्र स्व0 बाबुराम 3. गोमती देवी पत्नी स्व0 बाबुराम 4. विक्रम पुत्र स्व0 बाबुराम 5. इन्द्रा पुत्री स्व0 बाबुराम (सभी जाति विश्नोई, निवासी सुरपुरा, तहसील बाप, जिला फलौदी) 6. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार बाप, जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश सहायम कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) राजस्व प्रकरण सं0 22/2023 दिनांक 28.10.2024

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पुनिया वकील अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई वकील रेस्पो0 सं0 1/1 व 1/2
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 6
4. रेस्पो0सं0 2 से 5 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1/1 व 1/2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि तहसील बाप स्थित ग्राम श्रीसुरपुरा के खातेदारी खसरा नं0 188 की पूर्व में तहसीलदार फलौदी के आदेश दिनांक 14.08.12 की पालना में राजस्व टीम द्वारा दिनांक 12.12.2012 को पैमाईश करवाकर ख0नं0 188 एवं उसके दक्षिणी सीमा के पडौसी ख0नं0 185 के बीच की सीमा पर बाद पैमाईश सीमा चिन्ह कायम करवाये गये

सांभागीय आयुक्त
जोधपुर

थे। माफिक सीमा चिन्ह उसके द्वारा तारबंदी के लिए पत्थर पट्टी के टुकडे खडे किये गये, जिसे पडौसी ख0नं0 185 के खातेदार द्वारा बल पूर्वक उखाड़ देने से उसकी फसलों को पशुओं से नुकसान हो रहा है। अतः प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 188 की दक्षिणी सीमा पर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2024 द्वारा स्वीकार कर मौका फर्द दिनांक 07.01.2021 के अनुसार वादग्रस्त ख0नं0 188 की पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट– रेस्पो0सं0 2 व 3 ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम श्रीरामपुरा के खसरा नं0 185 के काबिज काश्त खातेदार है। प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा वर्ष 2013 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना में उसे पक्षकार नही बनाया जाने से उसके द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.7.13 द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत निगरानी/एलआर/5467/2016/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 22.5.17 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी बाप का आदेश दिनांक 19.7.16 को निरस्त करते हुए, प्रार्थी–अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर, उन्हें प्रकरण में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.1.18 को सुनवाई प्रारम्भ की गई तथा दिनांक 20.7.18 को दोनो पक्षों में सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु से वादग्रस्त खसरान की पुनः पैमाईश करवाकर आदेश पारित करने पर सहमति हुई। प्रकरण में तहसीलदार बाप के पत्रांक 77 दिनांक 7.1.21 द्वारा मौका फर्द पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि उक्त मौका फर्द अपीलांट–अप्रार्थी को बिना सूचना दिये एकतरफा तैयार की गई तथा मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश करके तैयार नही की गई है। जिस पर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति व्यक्त करने का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त पैमाईश रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है, जबकि धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी स्वयं अपनी देखरेख में अथवा तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट तैयार करवाने के प्रावधान है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी –रेस्पो0 का प्रार्थना बिना कोई साक्ष्य/सबूत/मौका जांच के स्वीकार कर लिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश त्रुटीपूर्ण होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(2) पेज नं0 1084–88 की प्रति प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0सं0 1/1 व 1/2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी–रेस्पो0 अपने खातेदारी खसरान 188 की दक्षिणी सीमा पर स्थित पडौसी खसरा नं0 185 के मध्य पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2013 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें करीब 12 वर्ष 6 माह का समय व्यतीत हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित आदेशिका दिनांक 20.7.18 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओं द्वारा वादग्रस्त खसरान की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से मंगवाने के पश्चात आदेश पारित करने की सहमति जाहिर की गई। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने के उपरांत वह मौके पर उपस्थित नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः मौका पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 8.1.21 को प्रस्तुत हुई। जिसके बाद कई बार बहस हेतु अवसर दिये गये। दिनांक 6.6.22 को अंतिम अवसर दिये जाने के बाद 5 बार ऑन कास्ट अवसर दिये गये। उसके बाद दिनांक 21.2.24 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट का यह कथन साबित नही है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का समय नही दिया गया। जबकि अपीलांट–अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.2.22 को विशेष आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस हेतु उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट रेस्पो0 के खसरान की नेखमबंदी में अनावश्यक रूप बाधा पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। आलौच्य प्रकरण में दो बार पैमाईश हो चुकी है। यदि इस मामले को रिमाण्ड किया जाता है, तो वह पुनः शून्य की स्थिति में पहुंच जावेगा

तथा अपीलांट अपनी मंशा में कामयाब हो जावेगा। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 5 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1/1 व 1/2 द्वारा आवेदित वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी वर्ष 2013 से लंबित है। आलौच्य प्रकरण में वादग्रस्त खसरान की दिनांक 12.12.2012 एवं 07.01.2021 को अर्थात दो बार पैमाईश हो चुकी है।

आदेशिका दिनांक 20.7.18 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओं द्वारा वादग्रस्त खसरान की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश रिपोर्ट मंगवाने पर सहमति जाहिर की गई थी। जिसकी जानकारी के उपरांत अपीलांट इसे एकतरफा बता रहा है। इसी भांति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 8.1.21 को प्रस्तुत हुई। इसके बाद एवं अप्रार्थी सं0 2 द्वारा दिनांक 17.02.22 को प्रस्तुत विशेष आपत्ति के उपरांत प्रकरण में बहस हेतु बार–बार अवसर दिये गये, किंतु वह उपस्थित नही हुए। इससे साबित है कि अपीलांट–अप्रार्थी सं0 2 व 3 इस मामले को अनावश्यक रूप से लंबित करना चाहते है। जो न्यायहित में उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 22/2023 (2013/00876) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/10/25 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

13/10/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर